न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नवीन पु. / 136/2014

R-136-I/14

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि. 9-1-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट/14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
12.30 p.m

रामकिशन पुत्र तुलाराम जाति साहू
निवासी– ग्राम झिरनिया तहसील
गुलाबगंज जिला विदिशा म.प्र.

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन

.... अनावेदक

प्रदीप श्रीवास्तव

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश तहसीलदार गुलाबगंज जिला विदिशा के राजस्व प्रकरण क्र. 61/अ 68/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15.10.13

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत हैं :–

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

1. यहकि, तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.2.13 को कारण बताओं नोटिस दिया कि आपके द्वारा ग्राम बेरखेडी की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 87.155 रकवा 0.273, 2.205 में से 0.167 हैक्टर पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया गया जो कि म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 248-(1) संशोधित दिनांक 30 दिसम्बर 2011 के तहत भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत तक अर्थदण्ड कर सिविल जैल की कार्यवाही की जा सकती है। अतः आप अपना जबाव स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जावेगा।

2. यहकि, 21.3.2013 को आवेदक के अधिवक्ता द्वारा विधिवत् जबाव प्रस्तुत किया गया आवेदक के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय

71

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-136-एक/14 **जिला -** विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवासतव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	